कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ–3/103/2017/10–11/10/369 भोपाल, दिनांक 22/01/2021

प्रति,

श्री बिजेन्द्र स्वरूप,
वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली–110003

विषयः–जिला खण्डवा के अंतर्गत भाम (राजगढ़) मीडियम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 148.75 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली का पत्र क्र. 8-34/2018-FC दि. 31.10.2018

––0––

महोदय,

विषयांतर्गत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा जारी की गयी सैद्वांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का शर्तवार पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर निम्नानुसार प्रेषित हैः–

शर्त क्र.	शर्त का विवरण	शर्त का पालन
1	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट 1 में संलग्न है।
2	The details of approved land Use Plan will be submitted before Stage-II approval;	आवेदक संस्था द्वारा चाही गई वन भूमि के उपयोग का विवरण प्रस्तुत किया है, जो परिशिष्ट–2 में संलग्न है।
3	The complete compliance of FRA, 2006 will be submitted before Stage-II approval;	आवेदक संस्था ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 मे प्राप्त प्रमाण पत्र तथा इरारो संबंधित समस्त अभिलेख प्रस्तुत किये है, जो परिशिष्ट–3 में संलग्न है।
4	The approved CAT plan and cost will be submitted before Stage-II approval;	आवेदक संस्था द्वारा CAT plan प्रस्तुत किया है, जो परिशिष्ट–4 में संलग्न है। यह CAT plan रू. 6.72 करोड़ का है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति इस कार्यालय द्वारा जारी की गई है। तकनीकी स्वीकृति की प्रति संलग्न है। आवेदक संस्था द्वारा यह राशि ऑनलाईन जमा की गई है।
5	The ambiguity in number of trees marked for felling in proposed forest area has to be reconciled before Stage-II approval;	इस प्रस्ताव में FRL-4 स्तर पर 3539 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। FRL-4 एवं FRL-2 के बीच 1394 वृक्ष तथा FRL-2 एवं FRL के बीच 804 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। अतः प्रस्ताव में FRL स्तर कुल 5737 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। इन वृक्षों में से FRL-4 स्तर पर मौजूद 3539 वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

6	The Compensatory Afforestation shall be done over equivalent non-forest land (NFL) to the proposed forest area to be diverted within a period of three years with effect from the date of issue of Stage-II clearance. The same shall be maintained thereafter in accordance with the approved Plan in consultation with the State Forest Department at the cost of the User Agency. At least 1000 saplings per hectares shall be planted over 148.75 ha. These Seedling (148750 plants). If are not possible to plant on identified NFL, the balance seedlings shall be planted in degraded forest land as per the prescriptions of the Working Plan at the cost of the User Agency in consultation with State Forest Department. In such case CA cost shall be revised and duly approved by competent authority and shall be deposited in the account of Ad-hoc CAMPA of the concerned State through online e-portal only;	क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य समतुल्य गैर वनभूमि पर किया जायेगा। क्षतिपूर्ति वनीकरण के कार्य में 148750 पौधे रोपित किये जाना सुनिश्चित किया जायेगा। क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि आवेदक संस्था द्वारा रू. 47.60 करोड़ ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की है।
7	The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a Survey of India Toposheet of 1:50,000 scale;	क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि को सर्वे ऑफ इंडिया की शीट पर अंकित किया गया है, जो परिशिष्ट–5 में संलग्न है।
8	The State Government shall submit a certificate about suitability of site for CA and same is free from all encroachments and other encumbrances, This shall be submitted under the signature not below the rank of Nodal Officer (FCA) from the State Government;	आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि का निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 13.04.2019 को मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा के साथ किया गया है। क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि अतिक्रमण मुक्त है तथा रोपण योग्य है। स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट–6 में संलग्न है।
9	The non-forest land to be transferred and mutated in favour of the State Forest Department for raising CA shall be notified as Reserved Forest under Section-4 or Protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the local Forest Act. The Nodal Officer, must report compliance for this within a period of 6 months from the date of grant of final approval to this Ministry for information and record;	आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि का नामांतरण वन विभाग के नाम से किया जा चुका है। नामांतरण की प्रति परिशिष्ट–7 में संलग्न है।
10	The User Agency shall deposit the cost of raising and maintaining the CA at the current wage rate in account of Ad-hoc CAMPA of the concerned State through online e-portal only. The scheme shall include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	आवेदक संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये रू. 47.60 करोड़ की राशि ई–पोर्टल के माध्यम से दिनांक 11.11.2020 को जमा कराई गई है।

11	The User Agency shall provide additional 25% of CA cost for soil and Moisture conservation (SMC) measures in the proposed CA area as per requirement at site The said amount shall be deposited in the account of Ad-hoc CAMPA of the concerned State through online e-portal only;	आवेदक संस्था द्वारा मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के लिये रू. 11.90 करोड़ की राशि ई–पोर्टल के माध्यम से दिनांक 11.11.2020 को जमा कराई गई है।
12	The Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal, as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05-02-2009. The requisite funds shall be deposited in the account of Ad-hoc CAMPA of the Concerned State through online e-portal only;	आवेदक संस्था द्वारा नेट प्रजेंट वैल्यू की राशि रू. 11,94,46,250 की राशि ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 20.08.2019 से जमा कराई गई है।
13	The User Agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank online only, Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance;	आवेदक संस्था द्वारा समस्त भुगतान ई–पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन जमा कराये गये हैं।
14	At the time of payment the Net Present Value (NPV) shall be paid at prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India;	आवेदक संस्था इस शर्त से सहमत है। इस संबंध में वचन पत्र परिशिष्ट–8 में संलग्न है।
15	The approved Catchment Area Treatment (CAT) Plan shall be implemented at the cost of User Agency. The commensurate cost of CAT plan shall be deposited in the Account of Ad-hoc CAMPA of Concerned State through online e-portal only;	आवेदक संस्था द्वारा इस कार्य के लिये रू. 6,72,07,140 की राशि ई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन दिनांक 28.10.2020 को जमा कराई गई है।
16	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required.	आवेदक संस्था को भारत सरकार से पत्र दिनांक 28.03.2019 से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। प्राप्त स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट–9 पर संलग्न है।
17	The State Government shall ensure that the forest land located between FRL, FRL-2 and the FRL-4 meters may be afforested by planting Suitable indigenous tree species;	इस शर्त से आवेदक सस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र परिशिष्ट–10 में संलग्न है।
18	The User Agency shall undertake afforestation along the periphery of the reservoir,	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र परिशिष्ट–11 में संलग्न है।

—4—

19	The User Agency shall provide free water for the forestry related works;	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र परिशिष्ट–12 में संलग्न है।
20	Layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government;	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र परिशिष्ट–13 में संलग्न है।
21	No construction of buildings / labour camp/huts shall be allowed on the forest land being diverted;.	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र परिशिष्ट–14 में संलग्न है।
22	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal and under no circumstances shall be transferred to any other agency, department or person;	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र परिशिष्ट–15 में संलग्न है।
23	Felling of tress on the forest land being diverted shall be reduced to the bare minimum and the trees should be felled under strict supervision of the State Forest Department.	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र परिशिष्ट–16 में संलग्न है।
24	The user agency shall implement the R & R Plan as per the R & R Policy of State Government in consonance with National R & R Policy, Government of India before the commencement of the project work. The said R & R Plan will be monitored by the State Government / Regional Office of MoEF&CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones;	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र परिशिष्ट–17 में संलग्न है।
25	The User Agency in consultation with the State Forest Department shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting tress are to be cleared in this project. Bird nests artificially made out of eco-friendly materials shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project;	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र परिशिष्ट–18 में संलग्न है।
26	State Government shall complete settlement of rights, in terms of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if Any, on the Forest land to be diverted and submit the documentary evidence as prescribed by this Ministry in its letter No. 11-9/1998-FC (pt.) dated 03.08.2009 read with 05.07.2013 in support thereof;	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र परिशिष्ट–19 में संलग्न है।
27	The User Agency shall provide alternate fuels (LPG) to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र परिशिष्ट–20 में संलग्न है।

—5—

28	Boundary of the forest land proposed to be diverted shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing, distance from pillar to pillar and GPS co-ordinates;	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र परिशिष्ट–21 में संलग्न है।
29	The State Government shall maintain the projects as an irrigation project and to ensure continued benefit to the farmers in the command area;	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र परिशिष्ट–22 में संलग्न है।
30	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry May stipulate, from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र परिशिष्ट–23 में संलग्न है।
31	The User Agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above condition to the State Government concerned Regional Office and this Ministry by the end of March of every year regularly and.	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र परिशिष्ट–24 में संलग्न है।
32	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, relevant Hon'ble Court Order (s) and National Green Tribunal (NGT) Order(s) if any, pertaining to this project for the time being in force, as applicable to the project.	इस शर्त से आवेदक संस्था सहमत है। इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र परिशिष्ट–25 में संलग्न है।

अतः प्रकरण में पालन प्रतिवेदन प्रेषित कर अनुरोध है कि भारत सरकार से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

21/01/2021
(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ–3/103/2017/10 11/10/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, 1250, तुलसी नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) खण्डवा वृत्त खण्डवा, मध्यप्रदेश।
4. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, खण्डवा, मध्यप्रदेश।
5. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

21/01/2021
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल